लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *427

01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

रेशम उत्पादन

***427. श्री कंवर सिंह तंवर:**
डॉ. के. सुधाकर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेशम उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा देश की आवश्यकता में उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का कितने प्रतिशत योगदान रहा है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 में फरवरी 2025 तक तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में फरवरी 2015 तक कच्चे रेशम का वार्षिक अनुमानित और वास्तविक उत्पादन कितना रहा है;

(ग) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कच्चे रेशम उत्पादन में वृद्धि या कमी के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वित्तीय वर्ष 2024-25 में फरवरी 2025 तक विशेषकर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में रेशम उद्योग के तहत सृजित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों की अनुमानित और वास्तविक संख्या कितनी है;

(ङ) कर्नाटक सहित देश भर में रेशम किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या स्वचालित रीलिंग मशीनों के माध्यम से उत्पादित भारतीय रेशम की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है जिसके फलस्वरूप अंतर-राष्ट्रीय रेटिंग में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'रेशम उत्पादन' के संबंध में श्री कंवर सिंह तंवर और डॉ. के. सुधाकर द्वारा दिनांक 01.04.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *427 के उत्तर में संदर्भ में विवरण

(क): पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कच्ची रेशम के उत्पादन का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान देश के रेशम उत्पादन में उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का योगदान प्रतिशत क्रमशः लगभग 1% (399 मीट्रिक टन) और 32% (12463 मीट्रिक टन) है।

(ख): रेशम का उत्पादन करने वाले राज्यों अर्थात् सेरी-स्टेट्स द्वारा उपलब्ध कराए गए कच्ची रेशम उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 से जनवरी, 2025 तक और वित्त वर्ष 2014-15 की इसी अवधि के लिए कच्ची रेशम का वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है:

अवधि	2024-25 वास्तविक (जनवरी-2025 तक)	2014-15 वास्तविक (जनवरी-2015 तक)
कच्ची रेशम का उत्पादन (मीट्रिक टन)	34,042	24,299

(ग): वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कच्ची रेशम उत्पादन में वृद्धि करने वाले कारक नीचे दिए गए हैं:

i. केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से केंद्रीय योजनाओं जैसे कैटेलिटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम (सीडीपी-2014-15), नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम (एनईआरटीपीएस- 2014 से 2023), सिल्क उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना (आईएसडीएसआई- 2015-16 और 2016-17), सिल्क समग्र (2017-18 से 2020-21) और सिल्क समग्र -2 (2021-22 से) 2025-26) का कार्यान्वयन करना है।

ii. उपर्युक्त योजनाओं के तहत स्टेकहोल्डरों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रौद्योगिकी अपनाने में सुधार करना।

iii. केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान संस्थानों द्वारा नई/उन्नत प्रौद्योगिकियों का समय पर प्रसार/अवगत कराया जाना और क्षेत्र स्तर के मुद्दों का समाधान करना।

iv. उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों पर कौशल विकास और कौशल उन्नयन के लिए स्टेकहोल्डरों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करना।

(घ): वित्त वर्ष 2024-25 से जनवरी 2025 तक रेशम क्षेत्र में अनुमानित रोजगार सृजन 80.90 लाख व्यक्तियों का है, जिसमें 71.2 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार और 9.7 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जनवरी-2025 तक उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित राज्यवार अनुमानित रोजगार सृजन **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ): सरकार वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक देश में रेशम उद्योग के समग्र विकास के लिए 4,679.85 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'सिल्क समग्र-2' योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत, विभिन्न लाभार्थियों के लिए क्षेत्र स्तरीय महत्वपूर्ण पहलों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

रेशम किसानों को प्रदान किए जाने वाले लाभों में किसान नर्सरी की स्थापना के लिए सहायता, रेशमकीट रियरिंग पैकेज (जिसमें प्लांटेशन, सिंचाई, रियरिंग हाउस, रियरिंग उपकरण एवं रोगनिरोधी उपायों के लिए सहायता शामिल है) तथा चॉकी पालन केंद्रों की स्थापना है।

राज्य रेशम उत्पादन विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सिल्क समग्र-2 योजना के अंतर्गत देशभर में किसानों के लिए निर्धारित घटकों सहित लाभार्थी घटकों को लागू करने के लिए 1,164.53 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। कर्नाटक राज्य के लिए केंद्रीय सहायता 288.11 करोड़ रुपये है।

(च): देश में 109 स्वचालित रीलिंग मशीनों (एएमआर) की स्थापना और कार्य आरंभ करने से अंतरराष्ट्रीय स्तर (3ए और 4ए) के गुणवत्ता वाले रेशम के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

अनुबंध-I

'रेशम उत्पादन' के संबंध में श्री कंवर सिंह तंवर और डॉ. के. सुधाकर द्वारा दिनांक 01.04.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *427 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भ में अनुबंध।

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान कच्ची रेशम का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार उत्पादन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कच्ची रेशम उत्पादन (मीट्रिक टन)		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	कर्नाटक	11,191	11,823	12,463
2	आंध्र प्रदेश	8,834	9,312	10,492
3	तेलंगाना	404	462	565
4	तमिलनाडु	2,373	2,589	2,679
5	केरल	9	11	15
6	महाराष्ट्र	523	620	764
7	उत्तर प्रदेश	355	373	399
8	मध्य प्रदेश	33	22	14
9	छत्तीसगढ	224	223	214
10	पश्चिम बंगाल	1,632	1,966	2,131
11	बिहार	56	48	59
12	झारखंड	1,052	874	1,127
13	ओडिशा	108	130	132
14	जम्मू और कश्मीर	99	100	117
15	हिमाचल प्रदेश	28	31	25
16	उत्तराखंड	42	41	42
17	हरियाणा	0.75	0.3	0.9
18	पंजाब	3.5	4	4
19	असम (बीटीसी सहित)	5,700	5,721	5,745
20	अरूणाचल प्रदेश	53	61	69
21	मणिपुर	462	454	83
22	मेघालय	1,234	1,168	1,176
23	मिजोरम	59	84	84
24	नागालैंड	315	350	399
25	सिक्किम	0.03	0.4	0.5
26	त्रिपुरा	113	115	116
कुल		**34,903**	**36,582**	**38,913**

अनुबंध-II

'रेशम उत्पादन' के संबंध में श्री कंवर सिंह तंवर और डॉ. के. सुधाकर द्वारा दिनांक 01.04.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *427 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भ में अनुबंध।

वर्ष 2024-25 के दौरान रेशम क्षेत्र में जनवरी-2025 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रोजगार का सृजन

#	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रेशम क्षेत्र में अनुमानित रोजगार सृजन (लाख व्यक्ति)		
		अप्रत्यक्ष रोजगार	प्रत्यक्ष रोजगार	कुल
1	कर्नाटक	2.12	15.3	17.42
2	आंध्र प्रदेश	1.83	13.2	15.03
3	तेलंगाना	0.09	0.7	0.79
4	तमिलनाडु	0.44	3.2	3.64
5	केरल	0.002	0.02	0.02
6	महाराष्ट्र	0.13	0.9	1.03
7	उत्तर प्रदेश	0.08	0.5	0.58
8	मध्य प्रदेश	0.003	0.02	0.02
9	छत्तीसगढ	0.2	0.8	1.00
10	पश्चिम बंगाल	0.37	2.4	2.77
11	बिहार	0.04	0.2	0.24
12	झारखंड	0.82	3.2	4.02
13	ओडिशा	0.06	0.3	0.36
14	जम्मू और कश्मीर	0.02	0.2	0.22
15	हिमाचल प्रदेश	0.01	0.04	0.05
16	उत्तराखंड	0.01	0.1	0.11
17	हरियाणा	0.00024	0.002	0.00
18	पंजाब	0.001	0.01	0.01
19	असम और बीटीसी	2.67	22.8	25.47
20	अरुणाचल प्रदेश	0.03	0.3	0.33
21	मणिपुर	0.06	0.5	0.56
22	मेघालय	0.54	4.6	5.14
23	मिजोरम	0.02	0.2	0.22
24	नागालैंड	0.2	1.6	1.80
25	सिक्किम	0.0001	0.001	0.001
26	त्रिपुरा	0.02	0.1	0.12
कुल		**9.7**	**71.2**	**80.90**

***